

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अहकाम
हुकम की
में जारी

17-11-20

उक्त का उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / परित्यक्त
काल: पत्रावली दिनांक 15-12-20 पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

15-12-20

उक्त का उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / परित्यक्त
काल: पत्रावली दिनांक 24-12-20 पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

24-12-20

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित,
अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त
हुए जिसे शां पत्र किये गये। परफार हल्का
परवारी द्वारा सौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शां
पत्र की गई। अप्रार्थीगण को कितनी मर्तबा आवाजे
दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं, इनके
विकल्प एक तरफा कार्यवाही किये जाने के
आदेश दिये जाते हैं वकील प्रार्थीगण का पत्र
पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पुस्तक से
लिखा जाकर शां पत्र किये गया। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

हकाम जो
म की ता
में जारी हु

राजस्थान - सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

न अधिकारी-महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

संख्या - 122/20 प्रा/पग

श्री हरि सिंह 5/0 माधु सिंह राजपूत निवासी - जालरिया तहसील-माण्डल (कौरा)

-प्रार्थी

बनाम

गारायण सिंह 5/0 मूर सिंह राजपूत निवासी - जालरिया तहसील-माण्डल [कौरा]
(सहायक प्रकपा रालन)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 24.12.20

::आदेश::

की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि ग्राम जालरिया पटवार हल्का जि.दारा तहसील माण्डल में उसके /संयुक्त खाते की आराजी नं. 696/370 कुल किता 01 रकबा 0.60 हॅक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते मि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 24.07.20 को पंजीबद्ध किया जाकर पण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से गढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को त हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम जालरिया पटवार हल्का जि.दारा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 696/370 कुल किता 01 रकबा 0.60 हॅक्टेयर स्थित भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक भगवानपुरा 300/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाडा